"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई 2018 — आषाढ़ 27, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–04/आठ – परि./2013. – यतः, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–4/आठ–परि./2013, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित और निर्देष जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए राजपत्र में इसके प्रकाषन की तारीख से प्रभावषील होगा, अर्थात्:–

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य किराया निम्नानुसार होगा–

(क) वोल्वो, स्केनिया, मर्सीडीज आदि, सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं के लिए –

स.क्र.	सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	वोल्वो आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित	रू. 7.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रू. 2.20 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए.
2.	वोल्वो आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित अर्द्ध–शयनयान तथा शयनयान	रू. 7.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रू. 2.20 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए और वातानुकूलित अर्द्ध–शयनयान में सीटों के लिए रू 02.50 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 02.75 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर.

(ख) वोल्वो, स्केनिया, मर्सीडीज आदि, सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं से भिन्न के लिए—

स. क्र.	सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	साधारण बस सेवा के लिए	रू. 6.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.00 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए.
2.	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	साधारण बस सेवा के किराये का 10% (दस प्रतिशत) अधिक.
3.	डीलक्स बस सेवा के लिए	रू. 6.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.30 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए.
4.	डीलक्स रात्रिकालीन सेवा के लिए	रू. 6.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रू. 01.40 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए.
5.	डीलक्स शयनयान कोच एवं अर्द्ध—शयनयान कोच सेवा वातानुकूलन रहित के लिए	डीलक्स शयनयान के लिए रू. 6.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 1.55 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध—शयनयान के लिए रू. 6.00 प्रति यात्री, प्रति 05 किलोमीटर दूरी तक के लिए तथा तत्पश्चात् सीटों के लिये रू. 01.30 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 01.55 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर.
6.	डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध—शयनयान कोच सेवा वातानुकूलन सहित के लिए	डीलक्स शयनयान वातानुकूलन के लिए रू. 6.00 प्रति यात्री 05 किलोमीटर की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रू. 2.25 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध—शयनयान वातानुकूलन के लिए रू. 6.00 प्रति यात्री, प्रति 05 किलोमीटर दूरी तक के लिए तथा तत्पश्चात् सीटों के लिये रू. 01.90 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रू. 02.25 प्रति यात्री, प्रति किलोमीटर.

टीप :—

1. उपरोक्तानुसार संगणित किराये की कुल राषि में, पचास पैसे तथा उससे अधिक की किसी राषि को, अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की किसी राषि को छोड़ दिया जायेगा।
2. रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है और जिसकी एक ओर की दूरी कम से कम 200 किमी होती हो।
3. सेवा के प्रकार यथा "रात्रिकालीन सेवा", "वातानुकूलित", "शयनयान कोच" तथा "अर्द्ध—शयनयान कोच" सेवा को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट किया जायेगा और

अनुज्ञापत्र में इसका उल्लेख किया जायेगा एवं किराये की गणना सेवा के प्रकार के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देष नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः—

अनुसूची

(1) नीचे उल्लिखित व्यक्ति एक परिचारक सहित को, किराये से छूट दिया जायेगा, अर्थात्:—
- (क) दृष्टिहीन व्यक्ति,
- (ख) मानसिक रूप से मन्दबुद्धि,
- (ग) निःषक्त व्यक्ति जो दोनों पैरो से चलने में असमर्थ हों,
- (घ) वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र अस्सी वर्ष और उससे अधिक,
- (ङ) एचआईव्ही (एड्स) से पीड़ित मरीज.

(2) (क) सरल क्रमांक (1) (ग) में उल्लिखित दोनों पैरों से निःषक्त व्यक्तियों के लिये, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र।

(ख) एचआईव्ही/एड्स (इम्यून सप्रेस) से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर एआरटी केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाणपत्र स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाणपत्र, निःषक्त व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी किसी ऐसे व्यक्ति को, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से जारी किया गया "नक्सल प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाणपत्र रखने पर राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान, 50% किराये के भुगतान से छूट दी जायेगी।

(4) उपरोक्त उल्लिखित सरल क्रमांक (1) से (3) में उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर) के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरूद्ध धारा 34 के अधीन क्रमषः कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 16th July 2018

NOTIFICATION

No. F 5-04/VIII/Trans./2013 .– Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this Department Notification Number F 5-4/VIII-Trans./2013, dated 27 July, 2015, the State Government, hereby, issues the following further directions to State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of the fares with effect from the date of its publication in the Official Gazette for stage carriages other than city services,
namely:-

DIRECTIONS

Fare chargeable by the Stage Carriages shall be –

(A) For Volvo, Scania, Mercedes etc., Super Luxury Air-Conditioned Services, -

S.No.	Type of Service	Chargeable Passenger Fares
(1)	(2)	(3)
1.	Volvo etc. Super luxury Air-Conditioned	Rs. 7.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 2.20 per passenger, per kilometer or part thereof.
2.	Volvo etc. Super luxury Air-Conditioned Semi- Sleeper and Sleeper	Rs. 7.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 2.20 per passenger, per kilometer or part thereof and in Air-conditioned semi sleeper for seats Rs. 02.50 per passenger, per kilometer and for sleeper (Berth) Rs. 02.75 per passenger, per kilometer.

(B) Other than Volvo, Scania, Mercedes etc., Super Luxury Air-Conditioned Services,-

S.No.	Type of Service	Chargeable Passenger Fares
(1)	(2)	(3)
1.	For Ordinary Bus Service	Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 01.00 per passenger, per kilometer or part thereof.
2.	For Ordinary Night Bus Service	10% (Ten percent) excess of the fare of Ordinary Bus Service.
3.	For Deluxe Bus Service	Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 01.30 per passenger, per kilometer or part thereof.
4.	For Deluxe Night Service	Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 01.40 per passenger, per kilometer or part thereof.
5.	For Deluxe Sleeper Coach and Semi-Sleeper Coach Service Non Air-Conditoned.	For Deluxe Sleeper Rs. 6.00 per passener up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 1.55 per passenger, per kilometer or part thereof and in Deluxe semi- sleeper Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter for seats Rs. 01.30 per passenger, per kilometer and for sleeper (Berth) Rs. 01.55 per passenger, per kilometer.
6.	For Deluxe Air- Conditioned and Semi- Deluxe Sleeper Coach and with Air- Condition	For Deluxe Sleeper Air-Conditoned Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 2.25 per passenger, per kilometers or part thereof and in Deluxe semi-sleeper Air- Conditioned Rs. 6.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter for seats Rs. 01.90 per passenger, per kilometer part thereof and for sleeper (Berth) Rs. 02.25 per passenger, per kilometer.

Note :- 1. For the total amount of fare calculated as per above, any amount exceeding fifty paise shall be rounded off to the next higher rupee, and for any amount less than fifty paise shall be ignored.

2. Night bus service means a service ordinarily running sunset to sunrise and which is running at least a distance of 200 km one way.

3. The type of Service such as "Night Service", "Air- Conditioned", "Sleeper Coach" and "Semi-Sleeper Coach" shall be entered in registration certificate and shall be mentioned in the permit and fare shall be calculated as per the type of service.

The above direction shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below :-

SCHEDULE

(1) The below mentioned persons along with attendant shall be exempted from fare, namely:-

(a) Persons with blindness,
(b) Mentally retarded,
(c) Persons with disability by both the legs,
(d) Senior citizens whose age is eighty years and above,
(e) Patients suffering from HIV (AIDS).

(2) (a) For person with disability by both legs mentioned in serial number (1)(c), a certificate with photograph issued by the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officer of Government Hospital.

(b) For Patients suffering from HIV/AIDS, (Immune suppress) a certificate with photograph issued by the Chief Medical Officer of the District or Officers of the Chhattisgarh State AIDS Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospitals, shall be acceptable and such certificate shall be presented by the person with disability during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.

(3) Any person being a resident of Chhattisgarh State, on production of a certificate of "Naxal Affected Person" duly issued by the Collector on the recommendation of the Superintendent of Police of the concerned District while travelling by passenger bus within the State, shall be exempted from paying 50% of the fare.

(4) In case of breach of any conditions mentioned in serial number (1) to (3) mentioned above action shall be taken against permit holder under Section 86 and against the conductor under Section 34 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.